विवाद निस्तारण समिति, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर के बीच दिनांक 11.10.1991 की सिविल अपील संख्या '1988 की 2058-59' (आईए सं0 1 और 2) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों तथा दिनांक 7.01.1994 की सिविल अपील संख्या 2058-59/1988 (1992 के आईए सं0 3 और 4) में पारित स्पष्टीकरण आदेश के अनुपालनमें गठित की गई थी । समिति के संघटन, प्रयोजन तथा उसके विचारार्थ मामलों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मंत्रिमंडल सचिवालय के समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 53/3/6/91-कैब दिनांक 31.12.91 और सं0 53/3/6/91-कैब दिनांक 24.01.94 और अन्य ज्ञापनों में दी गई हैं ।

2. **उद्देश्य**: विवाद निस्तारण समिति का प्रमुख उद्देश्य केन्द्र सरकार के दो अंगों के मध्य मुकदमेबाजी को यह सुनिश्चित करते हुए कम करना है कि केन्द्र सरकार के विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों अथवा केन्द्र सरकार के किसी एक विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी एक उपक्रम के बीच अनावश्यक एवं अनर्गल प्रकार का अथवा तुच्छ मसलों व मुद्दों संबंधी कोई मुकदमा इसके द्वारा जांच-पड़ताल हुए बिना किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में न पेश हो । यह समिति एक ऐसा मंच है जहां विवादग्रस्त पक्षों को सरकार के भीतर ही मसला सुलझाने का मौका दिया जाता है । यह समिति विवादग्रस्त पक्षों को सुनकर यह निर्धारित करती है कि विवाद में शामिल मुद्दों में अंतर्वलित तथ्य और/अथवा विधि संबंधी प्रश्नों को अधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा सुलझाने की आवश्यकता है अथवा नहीं । यह इन विवादों को प्रशासनिक उपायों व तंत्रों के जरिए, मुकदमेबाजी से बचते हुए, आपसी समझबूझ के द्वारा सुलझाने का प्रयास करती है ।

परिपत्र

- विवाद निस्तारण समिति के लिए टिप्पणियां तैयार/प्रस्तुत करते समय अपेक्षित प्रक्रियागत जरूरतें ।
- मंत्रालयों/विभागों के बीच अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के बीच विवादों का समाधान, दिनांक 13.07.2005 ।

- एक सरकारी विभाग तथा एक दूसरे विभाग के बीच और एक सरकारी विभाग और एक सार्वजनिक उपक्रम के बीच और सार्वजनिक उपक्रम तथा एक दूसरे उपक्रम के बीच विवादों का समाधान, दिनांक 24.01.1994 ।
- एक सरकारी विभाग तथा एक दूसरे विभाग के बीच और एक सरकारी विभाग और एक सार्वजनिक उपक्रम के बीच और सार्वजनिक उपक्रम तथा एक दूसरे उपक्रम के बीच विवादों का समाधान, दिनांक 31.12.1991 ।

- भारत के उच्चतम न्यायालय में, सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र, 1988 की सिविल अपील सं0 2058–59 में आईए सं0 1 और 2 ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय में, सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र, 1988 की सिविल अपील सं0 2058–59 में 1992 की आईए सं0 3 और 4 ।